REVIEW OF RESEARCH
IMPACT FACTOR : 5.2331(UIF) UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514 ISSN: 2249.894X
VOLUME . 7 | ISSUE . 10 | JULY . 2018

''सामाजिक न्याय के प्रक्रियात्मक पक्ष का विश्लेषण : रॉबर्ट नॉज़िक के विशेष संदर्भ में''

डॉ. शालिनी सिंह
डी. फिल., इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।

सारांश (Abstract)–

प्रस्तुत शोधपत्र का शीर्षक ''सामाजिक न्याय के प्रक्रियात्मक पक्ष का विश्लेषण : रॉबर्ट नॉज़िक के विशेष संदर्भ में'' है, जिसके अन्तर्गत सामाजिक न्याय की अवधारणा का संक्षिप्त विश्लेषण करते हुए न्याय के प्रक्रियात्मक पक्ष पर प्रकाश डालना शोधपत्र का मुख्य उद्देश्य है। आधुनिक विचारक रॉबर्ट नॉज़िक का न्याय सम्बन्धी मत सामाजिक–राजनीतिक दर्शन में विशेष स्थान रखता है, जिसे अधिकारिता (Entitlement) सम्बन्धी न्याय सिद्वान्त कहा जाता है। नॉज़िक वैयक्तिक स्वतंत्रता के मूल्य की सर्वप्रमुखता से वकालत करता है एवं इसी के अनुरूप संकल्प–स्वातन्त्र्य से युक्त मानव के लिए न्याय के किसी विशिष्ट प्रतिमान को नकारते हुए सामाजिक–न्याय की स्थापना हेतु न्याय के प्रक्रियात्मक पक्ष को महत्व देता है। नॉज़िक का मत है कि यदि प्रक्रिया उचित हो तो परिणामी व्यवस्था भी न्यायपूर्ण मानी जायेगी। इस क्रम में नॉजिक दो मूल प्रक्रियाओं की आवश्यकता को स्पष्ट करता है–प्रथम, 'औचित्यपूर्ण अर्जन की प्रक्रिया' (Just aquisition) एवं द्वितीय 'औचित्यपूर्ण हस्तान्तरण की प्रक्रिया' (Just transfer)। इनके फलस्वरूप प्राप्त परिणामी व्यवस्था न्यायपूर्ण होगी। प्रक्रियात्मक न्याय के इसी पक्ष का विश्लेषण एवं संगत तर्कों की समीक्षा करना ही प्रस्तुत शोधपत्र का प्रमुख विषय है।

मूलशब्द– न्याय, सामाजिक न्याय, अधिकारिता, प्रक्रियात्मक न्याय।

'न्याय' एक व्यापक पद है जो अपने अन्दर व्यवस्था के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, विधिक सभी विशेषणों को समाहित किये हुए है। व्युत्पत्तिमूलक अर्थ में 'न्याय' अंग्रेजी के जस्टिस (Justice) का पर्यायवाची है जो लैटिन भाषा के 'जस्टिशिया' (Justitia) से बना है, इसका तात्पर्य 'औचित्यपूर्णता' या 'निष्पक्षता' से है। 'न्याय' को सामान्यतः एक ऐसी अवधारणा के रूप में व्याख्यायित किया जाता है जो स्वतंत्रता, समानता एवं निष्पक्षता के मूल्यों के सम्पादन के परिणामस्वरूप स्थापित होती है।

'सामाजिक' विशेषण से युक्त न्याय की अवधारणा सामाजिक संस्थाओं, समूहों इत्यादि के संदर्भ में क्रियान्वित होती है। यहाँ सामाजिक–न्याय की व्याख्या के दो पक्ष हैं–प्रथम, 'न्याय' वह है जो जन्म, जाति, धर्म, लिंग, प्रजाति इत्यादि के आधार पर किये जाने वाले सभी प्रकार के विभेदों के संदर्भ में विशेषाधिकारों का निराकरण करता है। द्वितीय व्याख्या के अनुसार 'न्याय' सभी सामाजिक वस्तुओं एवं सेवाओं के सम्यक् एवं औचित्यपूर्ण वितरण ही अपेक्षा रखता है। सामाजिक न्याय के इसी प्रत्यय के सम्बन्ध में विभिन्न विचारकों ने भिन्न– भिन्न मत दिये हैं, इनमें आधुनिक विचारक रॉबर्ट नॉज़िक का न्याय सम्बन्धी मत विशिष्ट स्थान रखता है, जिसे अधिकारिता (Entitlement) सम्बन्धी न्याय सिद्वान्त कहा जाता है।

नॉज़िक के मत में न्याय प्रत्यक्षतः समाज में वस्तुओं या संसाधनों की आधिकारिक आपूर्ति से सम्बन्धित है। इससे यह ध्वनित होता है कि 'क' संसाधन को प्राप्त करना मेरी अधिकारिता है इसलिए वह मुझे मिलना चाहिए न कि कल्याण व्यवस्था के तहत किसी संस्थागत प्रयास द्वारा 'मुझे 'क' प्रदान किया जाए क्योंकि मैं 'क' से वंचित हूँ। संसाधनों के अर्जन व स्वामित्व में संस्थाओं का कोई योगदान नहीं होता। अतः मेहनत एवं प्रयास से अर्जित सम्पत्ति पर व्यक्ति की निरपेक्ष अधिकारिता होती है। साथ ही रॉबर्ट नॉज़िक इस अधिकारिक अपूर्ति के लिए प्रक्रियात्मक न्याय' (Procedural Justice) का समर्थन करता है। इसके तहत सही परिणाम तक पहुँचने के लिए कोई मानक या कसौटी निश्चित नहीं होती परन्तु एक सही एवं निष्पक्ष प्रक्रिया का पालन किया जाना आवश्यक है।

सामाजिक न्याय की मुख्य समस्या यह है कि किसी समाज में उपलब्ध संसाधनों या लाभों एवं उत्तरदायित्वों का वितरण सदस्यों के मध्य किस प्रकार किया जाय कि किसी के साथ अन्याय न हो। प्राकृतिक रूप से सर्वमान्य असमानताओं को समायोजित करने के क्या उपाय हो सकते हैं? क्या ऐसे किसी अधिकृत व्यक्ति या संस्थान का होना आवश्यक है जो उक्त वितरण का संपादन कर सके? इन्हीं समस्याओं के परिप्रेक्ष्य में रॉबर्ट नॉज़िक न्याय की समस्या पर विचार करते हैं। नॉज़िक के न्याय की अवधारणा के सैद्धान्तिक विश्लेषण के खण्ड के अन्तर्गत मुख्यतः दो पक्षों पर विचार करना प्रस्तावित है –प्रथम, नॉज़िक के अनुसार 'न्याय' में 'वितरण' से क्या तात्पर्य है? इसकी प्रकृति क्या है? द्वितीय, सामाजिक न्याय सिद्धान्त के प्रमुख घटक (Component) क्या–क्या हैं, जिनकी पुष्टि हो जाने पर व्यवस्था को औचित्यपूर्ण कहा जाएगा ?

रॉबर्ट नॉज़िक की न्याय के सन्दर्भ में अवधारणा उदारवादी मानकों से प्रेरित है। व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को सर्वोपरि रखते हुए उन्होंने व्यक्ति के मूलभूत अधिकारों में किसी भी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप को अस्वीकार किया है। इसी व्यक्तिनिष्ठ मान्यता को आधार बनाकर *एनार्की स्टेट एण्ड यूटोपिया* के प्रारम्भ में ही नॉज़िक उल्लेख करते हैं कि सामान्यतः लोगों में यह धारणा है कि कोई केन्द्रीय संगठन या व्यवस्था कतिपय सिद्धान्तों या मानकों के आधार पर कतिपय वस्तुओं की आपूर्ति कुछ लोगों में करता है। नॉज़िक वितरण में न्याय की इस वर्णनात्मक व्याख्या से असहमत हैं। वे कहते हैं –

"There is no central distribution, no person or group entitled to control all the resources, jointly deciding how they are to be doled out. What each person gets, he gets from others who gives to him in exchange for something, or as a gift."[1]

अर्थात् वितरण की किसी भी केन्द्रीय व्यवस्था की संभावना को नकारते हुए नॉज़िक व्यक्तिगत अधिकारों एवं स्वतन्त्रता को महत्त्व देते हैं। 'न्याय' प्रत्यक्षतः समाज में वस्तुओं या संसाधनों की आधिकारिक आपूर्ति से सम्बन्धित है। चूँकि वितरण के संदर्भ में 'न्याय' पद की ध्वनि एक वितरक की स्वीकार्यता का भ्रम पैदा करती है, इसी कारण नॉज़िक अपेक्षाकृत तटस्थ रूप में 'वितरक न्याय' के स्थान पर 'स्वामित्व में न्याय' (Justice in holdings) का नाम देना उचित समझते हैं। नॉज़िक के अनुसार –

"The complete principle of distributive justice would say simply that a distribution is just if everyone is entitled to the holdings they posses under the distribution."[2]

स्पष्ट है कि अधिकारिता की व्यवस्था द्वारा ही समाज में लोगों को उनके न्यायपूर्ण अंश प्राप्त हो सकते हैं। 'अधिकारिता के रूप में न्याय' को ही नॉज़िक सामाजिक न्याय के सन्दर्भ में सर्वोत्तम प्रत्यय मानते हैं।

नॉज़िक द्वारा प्रतिपादित न्याय–सिद्धान्त के अन्तर्गत वे संपत्ति एवं संसाधनों के 'अर्जन' एवं 'हस्तांतरण' की प्रक्रिया को महत्व देते हैं और दावा करते हैं कि उचित प्रक्रिया द्वारा अर्जित एवं हस्तांतरित संसाधन ही वितरण के औचित्य का निर्धारण करते हैं। इस क्रम में अपने न्याय सिद्धान्त को स्थापित करने हेतु न्याय के 'अधिकारिता सिद्धान्त' को नॉज़िक निम्नलिखित आगमनात्मक परिभाषा के द्वारा स्पष्ट करते हैं–

1. कोई व्यक्ति इस तरह किसी सम्पत्ति का उपार्जन करता है जो 'उपार्जन में न्याय' (Justice in acquisition)के सिद्धान्त के अनुकूल हो तो उसे उस सम्पत्ति का अधिकार प्राप्त होगा।
2. जब कोई व्यक्ति इस तरह किसी सम्पत्ति का किसी अन्य अधिकृत व्यक्ति से उपार्जन करता है जो 'हस्तान्तरण में न्याय' (Justice in transfer) के सिद्धान्त के अनुकूल है तो कहा जाएगा कि वह व्यक्ति उस हस्तान्तरित संपत्ति का अधिकारी है, और

3. कोई व्यक्ति किसी सम्पत्ति का अधिकारी तब तक नहीं है जब तक उपर्युक्त दोनों प्रकार के औचित्य के नियमों का अनुपालन न किया गया हो।

उक्त परिभाषा के आधार पर विशेषीकृत रूप में दो सिद्धान्त, 'उपार्जन में न्याय' एवं 'हस्तांतरण में न्याय' स्पष्ट होते हैं। नॉज़िक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में संसाधनों पर किसी का भी स्वामित्व नहीं होता है। ऐसी अस्वामित्व की अवस्था से प्रथम वैध उपार्जन की ओर गति को ही 'उपार्जन में न्याय' के रूप में विशिष्टता प्राप्त होती है।

न्याय के सम्बन्ध में जिस 'स्वामित्व में न्याय' (Justice in holding) का प्रश्न उपस्थित होता है उसका सम्बन्ध निजी सम्पत्ति के अधिकार से है। परन्तु एक ओर प्राकृतिक अधिकारों से युक्त व्यक्ति है, दूसरी ओर निजी सम्पत्ति, जो कृत्रिम है। इनके मध्य सामंजस्य कैसे स्थापित किया जाय? यदि प्राकृतिक अवस्था में विद्यमान स्थितियों से 'स्वामित्व की अवस्था' तक की प्रक्रिया को औचित्यपूर्ण सिद्ध कर दिया जाय तो निजी सम्पत्ति एवं उसकी अधिकारिता का औचित्य स्वतः सिद्ध हो जाएगा। इसी को नॉज़िक के शब्दों में 'उपार्जन में न्याय' (Justice in acquisition) के नाम से जाना जाता है। किसी संसाधन को उसकी प्राकृतिक अवस्था से हटाने और उसके स्वामित्व अर्जन हेतु उसके साथ व्यक्ति के 'श्रम' का योग करना पड़ता है। परन्तु इससे यह निगमित नहीं किया जाना चाहिए कि ऐसा करने की व्यक्ति के पास असीमित अधिकारिता है। यही कारण है लॉक इसके साथ एक शर्त जोड़ देते हैं कि उक्त प्रक्रिया द्वारा स्वामित्व अर्जन उसी सीमा तक किया जाना चाहिए जब कि अन्य के लिए 'उचित और पर्याप्त संसाधन' शेष रहे। यहाँ यह निश्चय करना आवश्यक है कि उक्त शर्त का उल्लंघन न हो। नॉजिक भी लॉक की इस शर्त को थोड़े बहुत संशोधनों के साथ स्वीकार करते हैं।

तत्पश्चात् वैध साधनों के माध्यम से संसाधनों के स्वामित्व का हस्तांतरण विशेषीकृत रूप में 'हस्तांतरण में न्याय' कहलाता है। अधिकारिता के रूप में न्याय वस्तुतः स्वामित्व के प्रश्न पर आधारित है। नॉज़िक के मत में स्वामित्व के औचित्य का प्रश्न स्वयं में ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य लिए हुए है। यह इस पर निर्भर करता है कि 'वस्तुतः क्या घटित हो चुका है?' अर्थात् किसी भी स्वामित्व तक पहुँचने की प्रक्रिया क्या है? इन दो नियमों के द्वारा ही अन्ततोगत्वा एक सर्वव्यापी नियम के रूप में 'न्याय' की स्थापना नॉज़िक के वक्तव्य के तृतीय भाग में स्पष्ट होता है, जहाँ कहा गया है कि उपर्युक्त दो अधिकारिता के नियमों के आलोक में ही औचित्य का सामान्य नियम प्रतिष्ठित होगा अन्यथा नहीं।

परन्तु सभी वास्तविक स्थितियाँ अधिकारिता के उक्त दो सिद्धान्तों से ही उत्पन्न नहीं हुई हैं। उदाहरणार्थ कुछ लोग दूसरे से चोरी करते हैं, ठगी करते हैं, दूसरों को दास बनाकर उनका शोषण करते हैं, उनकी सम्पत्ति हड़प लेते हैं और उन्हें उनके चयन के अनुसार जीवन जीने से रोकते हैं या अन्य को बलपूर्वक प्रतिस्पर्द्धा से बाहर करते हैं इत्यादि। इनमें से कोई भी, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन की मान्य पद्धति नहीं है एवं इस प्रकार के अन्यायों का निराकरण न्याय की आवश्यक माँग है। इन पूर्वकृत अन्यायों के सन्दर्भ में नॉज़िक का कथन है –

"The existence of part in justices (previous violations of the first two principles of justice in holdings) raises the third major topic under justice in holdings : the rectification of injustice in holding."[4]

अर्थात् यदि पूर्व में कृत अन्याय ने हमारे आज के स्वामित्व का अनेक प्रकार से निर्धारण किया है, जिनमें कुछ की पहचान की जा सकती है और कुछ की नहीं, तो अब उन अन्यायों के सुधार हेतु क्या किया जा सकता है? अन्यायकर्ता का दायित्व उस व्यक्ति के प्रति क्या है, जिनकी प्रस्थिति सापेक्षिक रूप से कमज़ोर हुई है? उक्त प्रश्नों के सन्दर्भ में 'परिशोधन का नियम' (Law of Rectification) का प्रसंग स्वतः ही उपस्थित होता है एवं इसी के निमित्त नॉज़िक 'न्यूनहस्तक्षेपकारी राज्य' (Minimal State) की अवधारणा प्रक्षेपित करते हैं।

ये तीन सिद्धान्त वस्तुतः नॉज़िक के अनुसार 'वितरण में न्याय' की तीन शर्तें हैं, तीन अंश हैं, जिनका पालन होने पर यह स्थापित किया जा सकता है कि वितरण में प्राप्त अमुक संसाधनों पर अमुक व्यक्ति की अधिकारिता है। उक्त अधिकारिता व्यक्ति को कैसे प्राप्त होती है, सर्वप्रथम संसाधनों का उपार्जन किन नियमों के तहत हुआ, हस्तांतरण की शर्तें क्या हैं, आदि प्रक्रियागत पक्ष है जिनपर नाजिक का न्याय विचार आधारित है। यहाँ पर सैद्धान्तिक विवेचना के तहत इतना स्पष्ट है कि एक न्यायपूर्ण स्थिति से वैध साधनों या वैध चरणों

द्वारा निःसृत परिणाम भी स्वयं में न्यायपूर्ण होते हैं। अब प्रश्न अधिकारिता सिद्धान्त पर आधारित न्याय के वास्तविक प्रक्रिया या प्रारूप (Model) से है कि वास्तविकता के धरातल पर अधिकाधिक न्याय कैसे किया जाय।

रॉबर्ट नॉज़िक मूलतः पूँजीवाद एवं उदारवाद के उस मूल विचार से प्रेरित जान पड़ते हैं जो व्यक्ति के लिए 'निरपेक्ष स्वतन्त्रता' की वकालत करता हैं। यही कारण है कि नॉज़िक सभी प्रकार के आहरण एवं हस्तांतरण हेतु स्वयं व्यक्ति को उत्तरदायी मानते हैं और केन्द्रीय–वितरण व्यवस्था को नकारते हैं। किसी भी प्रकार का पुनर्वितरण औचित्यपूर्ण नहीं हो सकता। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वतन्त्र प्रयासों से सम्पत्ति का अर्जन करता है। अतः यह न्यायपूर्ण नहीं हो सकता कि अमीर की सम्पत्ति को लेकर गरीबों या वंचितों में पुनर्वितरण किया जाय। नॉज़िक वंचित वर्ग के पक्ष में किसी विशेष प्रावधान को अनुचित मानते हैं। चूँकि नॉज़िक स्वतन्त्रता को प्राथमिक महत्व देते हैं एवं दावा करते हैं कि वंचित की वंचना का कारण वह स्वयं है, अतः जिन्होंने अपने श्रम से सम्पत्ति बनाई है उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। अपने स्वतन्त्र चयन एवं निर्णय के अनुरूप जिसकी जो अधिकारिता है उसे वही मिलना चाहिए, यही उचित योजना है। नॉज़िक का मत है कि प्रत्येक व्यक्ति के पास जीवन एवं स्वतंत्रता का अनन्य अधिकार है एवं वह 'सम्पत्ति के अधिकार' के अर्जन की भी योग्यता रखता है। परन्तु इस बात की कोई गारण्टी नहीं है कि ये व्यक्तिगत अधिकार अन्य द्वारा सदैव सम्माननीय हों। अन्य द्वारा किए जाने वाले अतिक्रमण से हम अपने अधिकारों की रक्षा कैसे करें, यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। वर्तमान समाज में इसके लिए हमारे पास पुलिस एवं न्यायालय जैसी संस्थाएँ है जबकि प्राकृतिक अवस्था में इस प्रकार की संस्थाओं का अभाव था। नॉज़िक इसके लिए 'न्यूनहस्तक्षेपकारी राज्य' की बात करते हैं। नॉज़िक राज्य के औचित्य को एक सीमा तक स्वीकार करते हैं और यह सीमा उनके अनुसार, बलप्रयोग, चोरी, धोखाधड़ी इत्यादि जैसे कृत्यों के विरूद्ध सुरक्षा के रूप में है। साथ ही व्यक्तियों के मध्य आपसी समझौते के पर्यवेक्षण का कार्य भी, ताकि निर्धारित शर्तों का उल्लंघन न हो। इस प्रकार राज्य की प्रासंगिकता अधिकारों के संरक्षक के रूप में स्वीकृत है।

अपनी पुस्तक *'राबर्ट नॉज़िक : प्रापर्टी, जस्टिस एण्ड द मिनिमल स्टेट'* में जोनाथन वूल्फ आधुनिक राज्य के कार्यक्षेत्रों का एक वर्गीकरण प्रस्तुत करते हैं जिनके लिए करों (Taxes) के माध्यम से वित्तपोषण किया जाता है, जो हैं – नागरिकों की सुरक्षा, लोकसेवा, नागरिकों की देखभाल, कुछ हद तक जीवन के निरीक्षक के रूप में।[5] इनमें से मात्र प्रथम (नागरिक सुरक्षा) को ही नॉज़िक राज्य के कार्य के रूप में स्वीकार करते हैं। परन्तु प्रश्न है कि मात्र उक्त रक्षा के कार्य को ही राज्य का वैध कार्य क्यों मानें, अन्य को क्यों नहीं? इसके लिए एक तर्क नॉज़िक देते हैं कि सुरक्षा का कार्य किसी प्रकार के पुनर्वितरण (Redistribution)की अपेक्षा नहीं रखता। जिस प्रकार संसाधनों के सम्बन्ध में पुनर्वितरण व्यक्तिगत अधिकारों को सीमित करने की शर्त पर ही संपादित किया जा सकता है उस रूप में किसी की खोई हुई सम्पत्ति को वापस लौटना या कृत अन्याय की क्षतिपूर्ति करना या सुरक्षा, किसी प्रकार के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं करता है। उल्लेखनीय है –

"[I]...this provision of protective services is not redistributive ...., Returning stolen money or compensating for violations of rights are not re-distributive reasons."[6]

ध्यातव्य हो कि उक्त कार्य के व्यक्तिगत उत्तरदायित्वों द्वारा सफलतापूर्वक सम्पन्न न हो पाने के कारण किसी एक सामान्य सुरक्षा–प्रदाता की आवश्यकता होती है। इसी सीमित सन्दर्भ में नॉज़िक न्यून–हस्तक्षेपकारी राज्य के औचित्य को सिद्ध करते हैं। राज्य की उक्त अवधारणा की सीमाएँ स्पष्ट करते हुए नॉज़िक लिखते हैं –

"Minimal state.....may not use its coercive apparatus for the purpose of getting some citizen to aid others or in order to prohibit activities to people for their own good or protection."[7]

अर्थात् न्यूनहस्तक्षेपकारी राज्य किसी नागरिक को अन्य के हितों के लिए अनुदान देने या कार्य करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता या किसी को स्वयं अपने शुभ या सुरक्षा हेतु कार्य करने से रोक भी नहीं सकता। यद्यपि नॉज़िक व्यक्तिगत स्वतन्त्रता को सर्वाधिक महत्व देते हुए संपत्ति के आहरण एवं हस्तांतरण में किसी भी प्रकार के बाह्य या संस्थागत हस्तक्षेप को अनुचित मानते है, तथापि 'सुधारात्मक (Rectificational) न्याय व्यवस्था' के तहत पूर्व में हुए अन्याय की क्षतिपूर्ति एवं सुरक्षात्मक कार्य के निमित्त 'न्यून–राज्य' (Minimal

State) की संकल्पना प्रस्तुत करते हैं। यह न्यून–राज्य यद्यपि वितरण–व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करता तथापि रात्रि–प्रहरी के रूप में पर्यवेक्षण का कार्य अवश्य करता है। सुरक्षात्मक उपायों के अभाव में किसी भी व्यवस्था (वितरक व्यवस्था) का सुचारू रूप से संचालित हो पाना वस्तुतः संभव नहीं जान पड़ता।

न्याय सम्बन्धी चिन्तन की प्रकृति में नॉज़िक का मत 'परिणामनिरपेक्षतावादी' है। प्रस्तुत प्रसंग में 'परिणामनिरपेक्षतावाद' वह विचारधारा है जो 'वितरक–न्याय' की स्थापना के क्रम में किसी निश्चित प्रयोजन या परिणाम को महत्व न देकर प्रक्रियागत पक्ष को महत्व देते हुए कार्यान्वयन को प्राथमिकता देती है। सरल शब्दों में कहें तो यह विचारधारा 'साध्य' के स्थान पर 'साधन' को अधिक महत्व देती है। परम्परागत न्याय–सिद्धान्तों के वर्गीकरण के क्रम में नॉज़िक स्वयं को प्रतिमानित सिद्धान्तों के वर्ग से पृथक घोषित करते हैं। नॉज़िक के मतानुसार न्याय के सन्दर्भ में मुख्यतः वह प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है जिसके द्वारा न्याय संपादित होता है न कि कोई निश्चित प्रतिमान। सम्पूर्ण समाज के लिए कोई एक निश्चित प्रतिमान न तो संभव है और न ही आवश्यक।

अपने न्याय–सिद्धान्त में प्रक्रिया के महत्व को स्पष्ट करने एवं उसे इस श्रेणी के एक सशक्त विकल्प के रूप में स्थापित करने के निमित्त नॉज़िक इस सन्दर्भ में प्रस्तुत विभिन्न सिद्धान्तों एवं प्रारूपों में अन्तर को स्पष्ट करते हुए उनकी कमियों को उजागर करने का प्रयास करते हैं। इस क्रम में वे सर्वप्रथम न्याय–सिद्धान्तों का दो प्रकार से वर्गीकरण करते हैं – प्रथम वर्गीकरण 'वर्तमानकालिक सिद्धान्त' (Current time-slice Principle) या 'परिणाम आधारित सिद्धान्त' (End Result Principle) एवं 'ऐतिहासिक सिद्धान्त' (Historical Principle) के रूप में प्राप्त होता है। द्वितीय वर्गीकरण के तहत 'प्रतिमान आधारित सिद्धान्त' (Patterned Principle) एवं 'अप्रतिमानित सिद्धान्त' (Non-Patterned Principle) को रखा गया। इन वितरक न्याय सिद्धान्तों के तात्पर्य निरूपण के द्वारा ही नॉज़िक अपने अधिकारिता सिद्धान्त की विशिष्टता को स्थापित करने का प्रयास करते हैं।

'वर्तमान–कालिक सिद्धान्त' वितरण या स्वामित्व में औचित्य का निर्धारण इस आधार पर करता है कि 'किसके पास क्या है?' वैध वितरण के किसी आकारिक सिद्धान्त के आधार पर संसाधनों का वितरण किस प्रकार किया गया है? इस प्रारूप के अनुसार, उल्लेखनीय है –

"All that needs to be looked at in judging the justice of a distribution is who ends up with what; in comparing any two distribution one need look only at the matrix presenting the distribution."[8]

अर्थात् किसी वितरण का मूल्यांकन करते समय मात्र उसकी संरचना (Structure) पर विचार किया जाता है। दो ऐसे वितरण समान रूप से न्यायसंगत होंगे, जो आकारिक रूप से समरूप (Identical) हों। इसी कारण समान संरचना वाली एक व्यवस्था को दूसरी व्यवस्था से प्रतिस्थापित करना संभव है। नॉज़िक उपयोगितावाद का उदाहरण देते हुए दावा करता है कि 'क' के पास दस एवं 'ख' के पास पाँच होना उतना ही उपयोगी होगा जितना 'क' के पास पाँच व 'ख' के पास दस होना। दोनों ही व्यवस्थाएँ संरचनात्मक रूप से समरूप हैं, अतः इनमें से किसी एक का चयन किसी भी प्रकार से न तो उसकी उपयोगिता में कमी करेगा एवं न ही उसके औचित्य पर प्रश्नचिह्न लगाएगा। यह सिद्धान्त वितरण के सम्बन्ध में वर्तमान सूचनाओं पर कार्य करता है। यद्यपि यह पूर्व स्थितियों पर विचार नहीं करता तथापि इसे 'वर्तमानकालिक' कहना एक संकुचित दृष्टि होगी। अतः इसके लिए व्यापक रूप में 'परिणामी सिद्धान्त' (End-result Principle) पद प्रयुक्त किया जा सकता है, जो पूर्ववर्ती 'वर्तमानकालिक' अर्थ को भी समाहित किए हुए है।

'स्वामित्व के ऐतिहासिक सिद्धान्त' के अनुसार संसाधनों के वितरण का आधार व्यक्ति के सम्बन्ध में पूर्व विद्यमान स्थितियाँ या क्रियाएँ (Post actions) होती हैं। इसका मुख्य बल इस बात पर होता है कि स्वामित्व की जो परिणामी व्यवस्था प्राप्त हुई है, वह कैसे प्राप्त हुई? इसकी प्रक्रिया क्या है? इस रूप में यह 'परिणामी सिद्धान्त' की विपरीत शर्त है। नॉज़िक अपने 'अधिकारिता सिद्धान्त' को ऐतिहासिक सिद्धान्त के वर्ग में ही रखते हैं, क्योंकि वितरण के औचित्य निर्धारण हेतु वे किसी निश्चित प्रतिमान या संरचना को महत्व देने के स्थान पर उस 'प्रक्रिया' को महत्व देते हैं जिससे वितरण की वर्तमान व्यवस्था उत्पन्न हुई हैं एवं उक्त प्रक्रिया को जानने के लिए हमें ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य अर्थात् पूर्व–स्थितियों की परीक्षा करनी पड़ेगी।

दूसरे वर्गीकरण के रूप में प्रस्तुत 'प्रतिमानित' एवं 'गैर–प्रतिमानगत' सिद्धान्तों में प्रतिमानित सिद्धान्त के

अनुसार संसाधनों का वितरण कुछ प्राकृतिक आयामों की दृष्टि से किया जाना चाहिए। जब एक वितरण प्रतिमानित होता है तो उसके आधार कुछ ऐसे होते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का उक्त प्राकृतिक आयाम के अनुसार पद, संसाधनों में उसके हिस्से का संवादी होता है। उदाहरणार्थ, यह कहा जा सकता है कि ''प्रत्येक को उसके... ...के अनुसार''। यहाँ रिक्ति को 'अर्हा' (Merit), 'आवश्यकता' (Need), 'योगदान' (Contribution)इत्यादि के द्वारा भरा जा सकता है। स्पष्ट है कि यह सिद्धान्त वितरण के लिए एक निश्चित 'प्रतिमान' स्थापित कर देता है एवं इनके लिए विहित नियमों के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के अंश का निर्धारण किया जाता है। इसके विपरीत 'अप्रतिमानगत सिद्धान्त' वितरण हेतु निश्चित मानकों की वांछनीयता को अस्वीकार करते हैं। इसके अनुसार सम्पूर्ण समाज के लिए कोई एक निश्चित प्रतिमान नहीं हो सकता। वस्तुतः समाज के विभिन्न हिस्सों एवं जीवन के विभिन्न पक्षों में स्वामित्व निर्धारण के अनेक प्रकार के प्रतिमान कार्य करते हैं। यादृच्छिक प्रतिमान व्यवस्था के इसी वर्ग में नॉज़िक अपने 'अधिकारिता सिद्धान्त' को रखते हैं। इस सन्दर्भ में ओनरा ओ–नील (Onora O'Neill) ने अपने लेख 'नॉज़िक्स इनटाइटलमेन्ट' में स्पष्ट किया है–

"Nozick's theory of just distribution, the entitlement theory, is neither an end-result nor a patterned theory. It is unpatterned and historical. It specifies just distribution not by giving a rule for the size of individual shares, nor by stating a mandatory profile or range..... but by listing procedures by which individuals may justly acquire title to particular resources. Hence the name, 'entitlement theory."[9]

अर्थात् 'स्वामित्व में न्याय' पूर्णतः उस प्रक्रिया पर निर्भर करता है जिसके द्वारा एक व्यक्ति स्वामित्व का अर्जन करता है, न कि किसी निश्चित प्रतिमान के अनुसरण पर।

पूर्व में उल्लिखित सैद्धान्तिक वर्गीकरण यह स्पष्ट करते हैं कि कोई भी आधिकारिक व्यवस्था अपने आप में पूर्ण नहीं है। इसलिए संसाधनों का वितरण मात्र कर देने से उसे औचित्यपूर्ण नहीं कहा जा सकता है, महत्वपूर्ण यह है कि उक्त वितरण की प्रक्रिया निष्पक्ष हो जो न्याय की मॉग के अनुरूप है।

टिप्पणियाँ एवं संन्दर्भ सूची

नॉज़िक, रॉबर्ट, *एनार्की स्टेट एण्ड यूटोपिया,* बेसिल ब्लेकवेल लिमिटेड, ऑक्सफोर्ड, 1980, पृष्ठ – 149।
वही, पृष्ठ – 151।
नॉज़िक, रॉबर्ट, *एनार्की स्टेट एण्ड यूटोपिया,* पूर्वोक्त, पृष्ठ – 151।
वही, पृष्ठ – 152।
वूल्फ, जोनाथन, *रॉबर्ट नॉज़िक : प्रापर्टी जस्टिस एण्ड द मिनिमल स्टेट,* पूर्वोक्त, पृष्ठ – 10।
नॉज़िक रॉबर्ट, *एनार्की स्टेट एण्ड यूटोपिया,* पूर्वोक्त, पृष्ठ – 27।
वही, पृष्ठ –IX।
नॉज़िक, रॉबर्ट, *एनार्की स्टेट एण्ड यूटोपिया,* बेसिल ब्लेकवेल लिमिटेड, ऑक्सफोर्ड, 1980, पृष्ठ – 154।
ओ–नील, ओनोरा, 'नॉज़िक्स इन्टाइटलमेंट', *रीडिंग नॉज़िक : एसेज ऑन एनार्की, स्टेट एण्ड यूटोपिया,* संपादक, जेफ़री पॉल, बेसिल ब्लैकवेल लिमिटेड, ऑक्फोर्ड, 1982, पृष्ठ – 307।

डॉ. शालिनी सिंह
डी. फिल., इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।